



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श10)

(सं0 पटना 882) पटना, बुधवार, 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

7 मार्च 2020

सं0 3154— श्री रामेश्वरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सर जो सार्वजनिक न्यास है और पर्षद में इसका निबंधन सं0-4079 है।

उक्त न्यास के सुचारु व्यवस्था एवं सम्यक् विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन दिनांक 27.07.2012 को 05 वर्ष के लिए किया गया था, जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। पर्षद के पत्र दिनांक 27.11.2017 द्वारा नवीन न्यास समिति के गठन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर से 11 व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर पत्र दिनांक 28.07.2018, दिनांक 31.08.2018 एवं दिनांक 02.04.2019 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर को स्मारित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर ने अपने पत्र दिनांक 19.09.2019 द्वारा 11 व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव समिति के गठन हेतु उपलब्ध कराया। न्यास समिति के सचिव श्री रामस्वरूप अग्रवाल द्वारा भी एक सूची पर्षद को समर्पित की गयी थी तथा समिति के अध्यक्ष श्री नागेन्द्रनाथ पाण्डेय ने भी 11 व्यक्तियों की एक सूची भेजी थी। इन सभी नामों को थाना प्रभारी, बक्सर को चरित्र-सत्यापन के लिए भेजा गया, जिनका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 को पर्षद को प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि पत्र में वर्णित नामों के विरुद्ध अभिलेख में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं पाया और इन लोगों का चरित्र अच्छा है।

उपरोक्त परिस्थिति में तथा पूर्व न्यास समिति के द्वारा अपने कार्यकाल में किये कार्यों पर विचारोपरांत श्री रामेश्वरनाथ मंदिर न्यास के सुचारु देखरेख तथा इसकी सम्पत्तियों की सुरक्षा और सुव्यवस्था हेतु एक न्यास समिति गठित की जाती है

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री रामेश्वरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सर” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “**श्री रामेश्वरनाथ मंदिर न्यास योजना, रामरेखा घाट, बक्सर**” होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “**श्री रामेश्वरनाथ मंदिर न्यास समिति, रामरेखा घाट, बक्सर**” होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकालकर खर्च किया जायेगा।
4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिवित्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है। बोर्ड का गठन के पश्चात स्थायी पर विचार किया जायेगा:-

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| (1) | प्रॉ० नागेन्द्रनाथ पाण्डेय | — | अध्यक्ष |
| | पिता— स्व० राम प्रसाद पाण्डेय, विश्वामित्र प्रेस के निकट, पी०पी० रोड, वार्ड नं०- 26 | | |
| (2) | श्री विनय कुमार | — | उपाध्यक्ष |
| | पिता— श्री आनन्द प्रसाद, आर० के० ज्वेलर्स, पी०पी० रोड, बक्सर, मो०- 9434866004 | | |
| (3) | श्री रामस्वरूप अग्रवाल | — | सचिव |
| | पिता— स्व० किशोरी राल अग्रवाल, ताड़का नाला, पी०पी० रोड, बक्सर, मो०- 9572699617 | | |
| (4) | श्री वसन्त कुमार | — | कोषाध्यक्ष |
| | एकाण्ट एण्ड टैक्सेशन, गंगा भोग कटरा, गोलम्बर, बक्सर | | |
| (5) | श्री नन्द कुमार तिवारी | — | सदस्य |
| | महाराजा पेट्रोल पंप के निकट, बक्सर, मो०- 9431083411 | | |
| (6) | श्री सुरेश संगम | — | सदस्य |
| | पिता— स्व० ब्रदी जायसवाल, सराय फाटक, पुराना चौक, बक्सर, मो०- 9431084187 | | |
| (7) | श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ विन्ध्याचल सिंह | — | सदस्य |
| | पिता— स्व० भूली सिंह, मुसाफिरगंज, बक्सर, मो०- 9431027186 | | |

(8)	श्री यशवन्त सिंह हाइ स्कूल के पीछे, ताड़का नाला, बक्सर।	—	सदस्य
(9)	श्री मंजीत साहु साहु मार्केट, पी0पी0 रोड, बक्सर, बिहार।	—	सदस्य
(10)	श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल पी0 पी0 रोड, बक्सर।	—	सदस्य
(11)	श्री हरिशंकर गुप्ता सत्यदेव मिल के सामने, नालबंद टोली, बक्सर, बिहार।	—	सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि श्री रामेश्वरनाथ मंदिर, रामरेखा घाट, बक्सर के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:— न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलान/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 882-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>